न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 291/2013

उनवान

1 सत्यनारायण मुतबन्ना बरदा छीपा, नि0 आगुँचा, तहसील हुरडा ।

–वादी

बनाम

1– सोहन पिता मिश्री छीपा, निवासी सेक्टर बी, मकान नं.– 402 आजाद नगर , भीलवाडा

2 श्रीमति सीमा पुत्री रामेश्वर पत्नि कालुराम टेलर , निवासी झडाव तहसील रीया जिला– नागौर,

3 सोहन पिता मिश्री छीपा, निवासी सेक्टर बी, मकान नं.– 402 आजाद नगर , भीलवाडा

4– शान्तिलाल पिता मिश्री छीपा, सेक्टर बी, मकान नं.– 402 आजाद नगर , भीलवाडा

5– मदन पिता मिश्री छीपा, सेक्टर बी, मकान नं.– 402 आजाद नगर , भीलवाडा

6– प्रेमचन्द पिता मिश्री छीपा, सेक्टर बी, मकान नं.– 402 आजाद नगर , भीलवाडा

7– श्रीमति रामकन्या पुत्री मिश्री पत्नि हरलाल सरवा, निवासी लाकोला तहसील माण्डल जिला– भीलवाडा ।

8– श्रीमति गीता पुत्री मिश्री पत्नि श्यामलाल हरगण निवासी हमीरगढ ।

9– विमला पुत्री रामेश्वर, पत्नि बबलू टेलर निवासी कंवलियास, तह.हुरडा।

10 राजस्थान सरकार तहसीलदार हुरडा ।

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :– श्री दिनेश तिवाडी वकील वादी
श्री मोहम्मद निशार वकील प्रतिवादी 1 से4 , 6, 7

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक– 11.06.2018

1 वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण मौरुस गोरु वल्द नारायण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की ग्राम आगुँचा में साबिक आराजी संख्या– 1491, 1759, 1763 कुल किता 3 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा स्थित थी ।

Scanned by CamScanner

2 गोरु के दो पुत्र छोगा एवं देवी से तथा छोगा के दो पुत्र मिश्री एवं बरदा थे । बरदा के कोई आल आलौद नही होने से वादी को गोद ले लिया था ।

3 उक्त साबिक आराजीयात के हाल नम्बर– 1768, 1867 एवं 1778 कायम हुयें उनमें से आरजी संख्या– 1778 तो वादी के गोद पिता बरदा के नाम उनके हक हिस्से अनुसार दर्ज कर दी गई एवं तत्पश्चात यह आराजी वादी के नाम बरदा के गोद पुत्र की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई , परन्तु आराजी संख्या– 1768 एवं 1867 में बरदा का हक हिस्सा दर्ज नही किया गया जबकि उक्त आराजीयात में से बरदा का 1/2 हक हिस्सा निहित होकर वादी बरदा के जीवनकाल से ही उक्त आराजी 1768 , 1867 के 1/2 हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । मात्र राजस्व रेकार्ड में बरदा के नाम नही होने से उक्त आराजीयात वादी के नाम पर भी दर्ज नही हो सकी है ।

4 हाल ही में दिनांक 01.05.2013 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रसत आराजीयात 1768, 1867 को अपने नाम पर होने से वादी को बेदखल करने की धमकी दी एवं वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की धमकी दी तब वादी ने वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में राजस्व रेकार्ड की जॉच पडताल की तो जानकारी हुई वादग्रस्त आराजीयात में वादी के पिता बरदा का नाम दर्ज नही किया गया जबकि वादग्रस्त आराजीयात में वादी के पिता बरदा का 1/2 हक हिस्सा निहित होकर वादी उक्त हिस्से पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । इस पर राजस्व रेकार्ड की नकलें प्राप्त होने पर वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि वे वादी का उसके 1/2 हक हिस्से अनुसार वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करवाने हेतु तहसील कार्यालय चले लेकिन प्रतिवादीगण के मन में फितुर उत्पन्न हो जाने से प्रतिवादीगण ने दिनांक 01.08.2013 को साफ तौर पर इन्कार कर दिया एवं एलानिया धमकी दी की वादग्रस्त आराजीयात को अन्य को खुर्द बुर्द कर देंगे एवं वादी को बेदखल कर देंगें । इस कारण वादी को यह वापपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5 तहसीलदार हुरडा को भूमिधारी होने से औपचारिक पक्षकार बनाया गया है । उनके विरुद्ध कोई प्रभावी अनुतोष नही चाहा गया है । इस कारण धारा 80 सीपीसी के नोटिस की आवश्यकता नही होने से नोटिस दिये बिना यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

6 वादी को प्रतिवादीगण के विनाय वाद दिनांक 01.05.2013 एवं 01.08.2013 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है ।

7 अन्त में अंकित किया कि वादी को ग्राम आगूँचा में स्थित हाल आराजी संख्या– 1768, 1867 के 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर

Scanned by CamScanner

फरमाई जावें । वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमाइ जावें कि प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल नही करें एवं वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र खुर्द बुर्द रहन बय बक्षीस एवं स्थानान्तरित न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावे ।

8 प्रस्तुत बाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 1, 2, 3, 4, 6, 8 की और से उनके अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 20.04.2015 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी संख्या–9 की और से उनके अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । किन्तु उनके द्वारा समुचित अवसर लिये जाने के उपरान्त भी जवाबदावा पेश नही किये जाने से प्रतिवादी संख्या– 9 की जवाबदेही स्टेज दिनांक 26.09.2016 को बन्द की गई। प्रतिवादी संख्या–10 औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदावा की आवश्यकता नही है । प्रतिवादी संख्या– 5 बावजूद सूचना के गैरहाजिर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 28.10.2013 को एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट आगुँचा पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये । वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण के मोरुस गोरु वल्द नारायण के खातेदारी की आराजीयात है , गौरु के दो पुत्र छोगा व देवी थे, तथा छोगा के दो पुत्र मिश्री व बरदा थे , बरदा के कोई आल औलाद नही होने से उनसे वादी को गोद रखा था । बरदा के हक हिस्से के हाल आराजी नम्बर– 1778 तो वादी के नाम गोद पुत्र की हैसियत से उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चूकी है । किन्तु आराजी नम्बर– 1768, 1867 में बरदा का हक हिस्सा दर्ज नही किया गया जबकि उक्त आराजीयात में बरदा का 1/2 हक हिस्सा निहित होकर वादी बरदा जी के जीवनकाल से ही उक्त आराजीयात के 1/2 हक हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है । अन्त में कथन किया कि आराजी नम्बर– 1768 , 1867 में बरदा के 1/2 हक हिस्से की आराजीयात वादी के नाम दर्ज किया जावें । जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि वादी सत्यनारायण ने अपने आप को बरदा का गोद पुत्र बताते हुये विवादित आराजीयात के बारे में अपना हिस्सा की घोषणा बाबत यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है मगर उसके द्वारा गोद के बारे में कोई रजिस्टर्ड गोद नामा पेश नही करने से दावा वादी खारिज योग्य है । वादी सत्यनारायण जो रामेश्वर का पुत्र होकर उसी नाम से जाना जाता है । अन्त में कथन किया कि वादी ने प्रतिवादीगण को जलील व परेशान करने के लिये 20 साल खामोश रहने के बाद बिना किसी आधार के उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज फरमाया जावें ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

10 मैंने वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से

Scanned by CamScanner

रहा है ।

11 वादी के द्वारा प्रस्तुत महकमें बन्दोबश्त राज्य मेवाड उदयपुर जमाबन्दी सम्वत् 1982 मौजा आगुँचा के अनुसार आराजी नम्बर– 1491, 1759, 1763 कुल किता 3 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा भूमि गोरु वल्द नारायण छीपा साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । पत्रावली पर उपलब्ध भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) के खसरा सम्वत् 2022 के अनुसार साबिक आराजी नम्बर– 1491, 1759, 1763 के नये नम्बर– 1768, 1867, 1778 बनाये जाना स्पष्ट हुआ है ।

12 यहाँ वादी का कथन है कि खातेदार गोरु के दो पुत्र छोगा व देवी थे और छोगा के दो पुत्र मिश्री व बरदा थे , मिश्री व बरदा होने से वादग्रस्त आराजीयात छोगा के दोनों पुत्रों के नाम दर्ज होनी चाहिये थी । किन्तु आराजी नम्बर– 1778 तो वादी के गोद पिता बरदा के नाम दर्ज कर दी गई । परन्तु आराजी नम्बर– 1768, 1867 में बरदा का हक हिस्सा दर्ज नही किया गया । अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 मौजा आगुँचा प्रस्तुत की गई जिसमें आराजी नम्बर– 1778 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि मिश्री, बरदा, पिता छोगा जाति छीपा के नाम तथा आराजी नम्बर– 1768, 1867 किता 2 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा भूमि मिश्री लाल पिता छोगा छीपा के साकिन देह के नाम होना प्रकट आया है उक्त जमाबन्दी से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात गोरु वल्द नारायण की खातेदारी भूमि थी,. गोरु के दो पुत्र छोगा व देवी थे जिसमें से छोगा के हक हिस्से में आई भूमि वादग्रस्त आराजीयात उसके दोनो पुत्रों के नाम दर्ज होनी चाहिये थी, किन्तु आराजी नम्बर– 1768, 1867 केवल मात्र छोगा के पुत्र मिश्रीलाल के नाम ही दर्ज की गई है । पत्रावली पर उपलब्ध हाल जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068 के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1768, 1867 किता 2 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा भूमि मिश्री पिता छोगा छीपा के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 5135 दिनांक 20.12.2012 से मिश्रीलाल के बजाय सत्यनारायण पिता रामेश्वर, सीमा, विमला, पुत्री रामेश्वर, शान्ति वेवा रामेश्वर, सोहन , मदनलाल ,प्रेमचन्द्र, शान्तिलाल पिता मिश्रीलाल , रामकन्या, गीता, पुत्री मिश्रीलाल, छाउ वेवा मिश्रीलाल, का नाम दर्ज रिकार्ड आया प्रकट आया है तथा विरासत से नामान्तकरण संख्या 5468 दिनांक 18.05.2013 शान्ति वेवा रामेश्वर के बजाय सत्यनारायण पिता रामेश्वर , सीमा, विमला, पुत्री रामेश्वर का नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । यहा वादी का कथन है कि वह उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा बरदा पिता छोगा का है और वह बरदा के गोद गया है । अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें उक्त जमाबन्दी से स्पष्ट है कि आराजी नम्बर– 1768, 1867 में 1/2 हक हिस्सा मिश्री पिता छोगा का है , और 1/2 हक हिस्सा बरदा पिता छोगा का है । जिसमें बरदा की हक हिस्से की आराजीयात सत्यनारायण मुतवन्ना बरदा के नाम दर्ज चाहिये थी । किन्तु हाल राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि 1768, 1867 के खातेदार मिश्रीलाल की विरासत का नामान्तरकण में वादी का नाम मृतक खातेदार मिश्रीलाल के अन्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

वारिसान के साथ दर्ज कर दिया गया है जो गलत व अवैधानिक है । जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि में बरदा का 1/2 हिस्सा था और बरदा के वादी सत्यनारायण गोद चले जाने से वादी का 1/2 दर्ज हक हिस्सा दर्ज होना चाहिये था । तदनुसार दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: निर्णय :—

दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा आगूँचा प्रथम तहसील हुरडा की आराजी नम्बर— 1768, 1867 किता 2 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा भूमि के खातेदार सत्यनारायण पिता रामेश्वर का नाम हटाया जाकर वादी सत्यनारायण मुतबन्ना बरदा छीपा को 1/2 हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है । शेष इन्द्राज बदस्तूर रहें ।

तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट आगूँचा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner